

कार्यालय-नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

अति अल्पकालिक ई-निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद, जौनपुर के समस्त ए0बी0सी0डी0ई0 श्रेणी के पंजीकृत/नवीनीकृत एवं शासनादेश संख्या 3890/नौ-5-19-149 सा0/2019 दिनांक 20 सितम्बर 2019 के क्रम में निम्नानुसार अर्ह ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि सीवरेज एवं जलनिकासी योजना अर्न्तगत स्वीकृत निम्नलिखित कार्यों हेतु ई-निविदा के माध्यम से निविदाये उत्तर प्रदेश की ई-प्रियोरमेंट की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर निम्न प्रतिकंधो के अधीन आमंत्रित की जाती है।

1. इस निविदा में प्रमुख सचिव नगर विकास उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या 3890/नौ-05-019-149सा/2019 नगर विकास अनुभाग 05 लखनऊ दिं0 20.09.2019 के अनुरूप समस्त अर्ह ठेकेदार प्रतिभाग कर सकते हैं उक्त शासनादेश नगर पालिका परिषद जौनपुर की www.nppjaunpuronline.org पर देखा जा सकता है।
2. निदेशक स्थानीय निकाय के जारी दिशा निर्देश पत्रांक तक0सेल0/07/निदे0/2019 दिनांक 28 जून, 2019 विभिन्न कैटेगरी के क्लास-ए,बी,सी,डी, एवं ई के ठेकेदारों के लिए निर्धारित निविदा सीमा/निर्धारित हैसियत (सात्वसी) सीमा, निर्धारित जनरल जमानत सीमा आदि नगर पालिका परिषद जौनपुर के वेबसाइट www.nppjaunpuronline.org पर देखा जा सकता है, की अर्हता सुनिश्चित की जायेगी।
3. नगर पालिका के पंजाब नेशनल बैंक के खाता संख्या:-08662722000231 जिसका आई0एफ0एस0सी0 कोड PUNB0086610 में वांछित निविदा शुल्क ऑनलाइन/बैंक द्वारा जारी जमा रसीद शुल्क जनरेट रिफरेन्स रसीद की स्कैन कापी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा। उपरोक्त प्रपत्र न होने की स्थिति में ठेकेदार की उक्त निविदा को अवैध माना जायेगा। निविदा शुल्क नान ट्रांसफरेबल/नान रिफण्डेबल/नान एडजस्टेबल होगा। कोई भी नगद भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. निविदा शुल्क एवं वांछित जमानत की स्कैन कापी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा एवं शासनादेश संख्या:-1/2018/3070/78-2-2018/42 आई0टी0/2017(22) दिनांक:-03-जनवरी, 2018 का पालन पूर्ण रूप से किया जायेगा।
5. निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम की निविदा डालने की दशा में शासनादेश सं0-622/23-12-2012-2 आडिट/09टी0सी0/2 दिनांक:-08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक कम दर पर प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर परफोरमेंस गारन्टी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा करने के उपरान्त अनुबन्ध गठित किया जायेगा। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
6. इण्टरलाकिंग ब्रिक्स से सम्बन्धित कार्यों में शासनादेश संख्या:-3747/नौ-5-2013-120 बजट/2013 नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक:-10.09.2013 के अनुपालन में इण्टरलाकिंग ब्रिक्स जो आई0आर0सी0 (इण्डियन रोड कांग्रेस) विशिष्टियों के अनुरूप न्यूनतम एम-30 (30M.Pa Megapascal) ग्रेड के अनुरूप की मान्य होगी।
7. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, जौनपुर को बिना कोई कारण बताये किसी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त/स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
8. कार्य स्थल पर लगे श्रमिकों का उप श्रमायुक्त कार्यालय में पंजीकरण कराकर सम्बन्धित ठेकेदार निर्माण विभाग को सूचित करेगा।
9. अपठनीय/अस्पष्ट स्कैन कापी निविदा के साथ अपलोड होने पर निविदा पर विचार/निरस्त कर दी जायेगी।
10. निविदादाता द्वारा आगणन से उच्च/न्यून प्रतिशत में निविदा दरें डाली जायेगी।
11. निविदादाताओं को कार्य योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ उसके अगले 01 वर्ष तक रख-रखाव करना अनिवार्य है। जमानत राशि रख-रखाव अवधि बीतने के पश्चात सड़कों के समुचित रख-रखाव होने की दशा में रिलीज की जायेगी तथा शासनादेश संख्या:-1319/नौ-9/21-45ज/21 दिनांक:-30 जून 2021 का पालन ठेकेदार को अनिवार्य रूप से करना होगा।
12. सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. नियमानुसार आयकर, जी0एस0टी0, श्रमकर, रायल्टी एवं समय-समय पर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा जारी करों की कटौती की जायेगी।
14. निविदा के साथ (10 प्रतिशत) सम्बन्धित कार्य के समक्ष अंकित जमानत राशि, नगर पालिका के पंजाब नेशनल बैंक के खाता संख्या:-08662722000231 जिसका आई0एफ0एस0सी0 कोड PUNB0086610 में वांछित जमानत राशि ऑनलाइन जमा कर जनरेट रिफरेन्स रसीद की स्कैन कापी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा। अथवा सम्बन्धित कार्य के समक्ष अंकित जमानत राशि के समतुल्य (एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/डी0आर0सी0/एन0एस0सी0) जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जौनपुर के पदनाम से बन्धक होगा की स्कैन कापी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा। साथ ही शासनादेश संख्या 3070/78-2-2018-42आई0टी0/2017(22) आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 03 जनवरी 2018 का शर्त प्रतिशत अनुपालन अनिवार्य होगा।
15. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त निर्धारित कीमत के स्टाम्प पेपर पर 07 दिवस में अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा, ससमय अनुबन्ध न कराने पर बिना सूचना दिए निविदा निरस्त करते हुए जमानत जब्त कर दी जायेगी।
16. स्थल का निरीक्षण निविदादाता को टेण्डर देने के पूर्व करना होगा, बाद में किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
17. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार के अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
18. निविदादाता निविदा खुलने के समय उपस्थित रह सकते हैं। निविदा खोले जाने की स्थिति में यदि अवकाश होगा तो निविदायें अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।

19. शासनादेश सं० 6738/23-7-06-176(सा०)/06 दिनांक 05.01.2007 का अनुपालन करते हुए 40.00 लाख की धनराशि पर 10 प्रतिशत की दर से जमानत धनराशि तथा इसके ऊपर समस्त अवशेष धनराशि पर 05 प्रतिशत की दर से जमानत धनराशि निविदा के साथ ही जमा कराया जायेगी।
20. उक्त टेण्डर को नगर पालिका परिषद, जौनपुर की वेबसाइट www.nppjaunpuronline.org पर भी देखा जा सकता है।
21. यदि कूटरचित ढंग से तैयार किये गये दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात् होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए धरोहर की धनराशि जब करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
22. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों/असमाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अनुबन्ध उसी समय निरस्त कर धरोहर की धनराशि जब करते हुए फर्म/नाम को काली सूची में डाला जायेगा।
23. निविदाओं में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
24. कार्य में मात्रात्मक बदलाव की स्वीकृति, अतिरिक्त मद की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान किया जायेगा।
25. उ०प्र० भवन और सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम) नियमावली- 2009 के अनुसार कार्यों के निर्माण लागत का 01 प्रतिशत की दर से उक्त कार्य (सेस) की धनराशि उ०प्र० भवन और सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को स्थानान्तरित की जायेगी। जिसका समाविष्ट करते हुये निविदादाता अपनी निविदा दर अंकित करें। ठेकेदार को उपश्रमायुक्त कार्यालय में प्रत्येक कार्य का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा तथा सफल निविदादाता को कार्य पर लगे श्रमिकों का उपश्रमायुक्त कार्यालय में पंजीकरण कराकर विभाग को सूचित करना होगा।
26. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ फर्म के संचालित खाते का कैंसिल चेक अपलोड करना अनिवार्य होगा।
27. शासन द्वारा जारी सीवरेज एवं जलनिकासी योजनान्तर्गत गाईड लाईन का पालन एवं कोविड नियमों का पालन करते हुए स्थल पर कार्य सम्पादित कराया जायेगा।
28. निम्नलिखित स्वीकृति प्राक्कलित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में शासन द्वारा धनराशि अवमुक्त की गई है, कार्य पूर्ण होने के उपरान्त भुगतान किया जायेगा।

आनलाईन निविदा प्रकाशन की तिथि/समय		दि० २१-०२-२०२५ 03:00 बजे अपराह्न तक			
आनलाईन निविदा अपलोड करने की प्रारम्भिक तिथि/समय		दि० २१-०२-२०२५ 04:00 बजे अपराह्न से			
आनलाईन निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि/समय		दि० १५-०३-२०२५ 03:00 बजे अपराह्न तक			
निविदा खोलने की तिथि/समय		दि० १५-०३-२०२५ 04:00 बजे अपराह्न से			
क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत जी०एस०टी० सहित	जमानत धनराशि जी०एस०टी० रहित	निविदा मूल्य जी०एस०टी०, स्टेशनरी चार्ज सहित	कार्य समाप्ति की अवधि
1	वार्ड वाजिदपुर दक्षिणी में सुन्दर नगर पुलिया सद्भावना मोड़ के पास नाली निर्माण कार्य।	18,56,914.00	1,57,366.00	1574+283+500 =2357	दो माह
2	वार्ड चौदपुर मो० पुरेन्द्रपट्टी में पप्पू वाल्मिकी के मकान से दीपचन्द के मकान होते हुए कचगॉव रोड तक 450 एम०एम० डाय़ा आर०सी०सी० ह्यूम पाइप द्वारा जलनिकासी कार्य।	39,54,558.00	3,35,132.00	3351+603+500 =4454	तीन माह
3	वार्ड डेरायुसूफ में पारस होटल से कुत्तपुर चौराहा होते हुए ककोरगहना मोड़ तक आर०सी०सी० ह्यूम पाइप द्वारा जलनिकासी का कार्य।	16,81,991.00	1,42,542.00	1425+257+500 =2182	दो माह
4	वार्ड जहंगीराबाद में राजकुमार केराना की दुकान से हीरो हाण्डा एजेन्सी तक दोनों पटरी पर आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	14,89,395.00	1,26,220.00	1262+227+500 =1989	दो माह
5	मो० मैनीपुर में हरिजन बस्ती में तालाब से बुड़हू बाबा तक आर०सी०सी० ह्यूम पाइप द्वारा जलनिकासी का कार्य।	19,04,130.00	1,61,367.00	1614+290+500 =2404	दो माह
6	मो० मैनीपुर मल्हनी रोड से त्रिलोकी नाथ मौर्या के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	7,49,956.00	63,556.00	636+114+500 =1250	एक माह
7	वार्ड नं० 03 गंगापट्टी मो० भुवालापट्टी में कचगॉव लाइन बाजार मेन मार्ग से चन्द्रेश विद्यालय तक आर०सी०सी० ह्यूम पाइप द्वारा जलनिकासी का कार्य।	38,90,464.00	3,29,700.00	3297+593+500 =4390	तीन माह
8	वार्ड वाजिदपुर दक्षिणी में रामाश्रम कालोनी में मिर्जापुर रोड से गुलरचक रोड तक 450 एम०एम० डाय़ा आर०सी०सी० ह्यूम पाइप द्वारा जलनिकासी कार्य।	39,99,565.00	3,38,946.00	3389+610+500 =4499	तीन माह
9	मो० वाजिदपुर उत्तरी में प्राइमरी स्कूल के सामने पुलिया से विकास मिस्त्री से होते हुए अनिल मौर्या के मकान तक व अजय रावत के मकान से सरला उपाध्याय के हाता तक 450 एम०एम० डाय़ा आर०सी०सी० ह्यूम पाइप द्वारा जलनिकासी का कार्य।	23,13,801.00	1,96,085.00	1961+353+500 =2814	दो माह
10	मो० बेगमगंज में राजेन्द्र मिश्रा के मकान से बेगमगंज चुंगी होते हुए मौर्या एल्युमिनीयम एण्ड ग्लास के दुकान तक 450 एम०एम० डाय़ा आर०सी०सी० ह्यूम पाइप द्वारा जलनिकासी कार्य।	33,64,443.00	2,85,122.00	2851+513+500 =3864	तीन माह
11	वार्ड डेरायुसूफ में तिलकराज कुशवाहा के मकान से मजार के आगे पुलिया तक 600 एम०एम० डाय़ा आर०सी०सी० ह्यूम पाइप द्वारा जलनिकासी कार्य।	39,83,919.00	3,37,620.00	3376+608+500 =4484	तीन माह

12	मो० वंशगोपालपुर में अवधेश पंडित के मकान से रामजानकी मन्दिर होते हुए संतोष श्रीवारत्तव के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	5,15,325.00	43,672.00	437+79+500 =1016	एक माह
----	--	-------------	-----------	---------------------	--------

अधिसासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

पत्रांक:- 1654 / आठ-निर्माण / न०पा० / 2024-25
प्रतिलिपि:-

मनोहरा मौर्य
अध्यक्ष,

नगर पालिका परिषद, जौनपुर।
दिनांक:- 20-09-25

- 1-जिलाधिकारी जौनपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, जौनपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3-अवर अभियन्ता, नगर पालिका परिषद जौनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की पालिका वेबसाइट/ ई-प्रिक्वोरमेंट की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर अपलोड कराये।
- 4-एन०आई०सी०, जौनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 5-कार्यालय अधीक्षक को सूचनार्थ एवं पालिका नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 6-लेखाकार नगर पालिका परिषद, जौनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिसासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।